न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 110/2019

1. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मण्डावा जिला झुंझुनू।

—— प्रार्थी

बनाम

1. बजरंग सिंह पुत्र श्री जसवंत सिहं राजपूत ग्राम पोस्ट कोलाली जिला झुंझुनू।
2. पृथ्वी सिहं पुत्र चतर सिहं राजपूत ग्राम पोस्ट कोलाली जिला झुंझुनू।
3. भवानी सिहं पुत्र श्री केशर सिहं राजपूत ग्राम पोस्ट कोलाली जिला झुंझुनू।

—— ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 एतद् पश्चात ''एक्ट'' से संबोधित किया गया है ऋणी/जमानती से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने बाबत।

——

उपस्थितः–

1 श्री राजीव शर्मा (बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) –........... प्रार्थी बैंक की ओर से

आदेश

दिनांक 04.07.2019

प्रार्थी बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को कुल रूपये 2,30,000/– की ऋण सुविधा दिनांक 19.02.2019 को आवासीय ऋण के बाबत उपलब्ध कराई थी व अप्रार्थी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के ऐवज में श्री बजरंग सिहं पुत्र श्री जसवंत सिहं राजपूत ग्राम पोस्ट कोलाली जिला झुंझुनू स्थित सम्पति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 300 वर्गगज) को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थी ने उपलब्ध ऋण को बैंक के नियमानुसार नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 10.01.2018 को एन.पी.ऐ. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी के ऋण खाते में रूपये 2,14,994.25/– दिनांक 30.12.2017 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है। उक्त ऋण खाता दिनांक 10.01.2018 को एन. पी.ऐ. घोषित होने के कारण ''एक्ट'' की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी सहऋणी एवं जमानती को दिनांक 25.03.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा ऋणी राशि जमा नहीं करवायी गई व न ही, बंधकशुदा सम्पति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर – अन्दर ऋण राशि रूपये 2,14,994.25/– दिनांक 30.12.2017 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे एवं अन्य खर्चा जमा कराना था परन्तु ऋणी एवं जमानती ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं कराई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) सब सेक्सन (2) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर , प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 में वर्णित सम्पति का कब्जा व सम्बधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा उपरोक्त बिन्दुओ के अन्तर्गत ''एक्ट'' की धारा 14 के अनुसा ऋणी/जमानती से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये

जिला कलेक्टर झुन्झुनू
(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट)
झुंझुनू

जानें का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शमिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति (अचल सम्पति :– श्री बजरंग सिहं पुत्र श्री जसवंत सिहं राजपूत ग्राम पोस्ट कोलाली जिला झुंझुनू स्थित सम्पति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 300 वर्गगज)) का पजेशन प्रार्थी बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 04.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

जिला कलेक्टर झुन्झुनू